

मानक शर्तें

१. नमी इस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक रथल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या कानूनिक बन नमी बनी रहेगी।
 २. इस्तान्तरण नमी का सम्पदान केवल कानूनिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
 ३. याचक विभाग इस्तान्तरण नमी आवश्यक उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को इस्तान्तरित नहीं करेगा।
 ४. नमी का सम्पदा निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य विशेष नमी उपलब्ध नहीं है।
 ५. इस्तान्तरण विभाग उसके कानूनिकी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और उस विभाग द्वारा कानूनिक विभाग कानूनिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके विभाग विभाग सम्मत हैं।
 ६. नमी का निरीक्षण याचक विभाग द्वारा व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में उसके बाद नमी कोई की भी देवलाल करेगा।
 ७. इस्तान्तरण वन नमी का वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 ८. सम्पदा वन सम्पदा से आवश्यकित एवं दन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। कानून कानूनिकी कर्मचारी से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की कानूनिकी एवं याचक वालुओं के सम्बन्ध विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
 ९. निरीक्षण विभाग/याचक विभाग द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुरक्षा उपलब्ध करायेंगी।
 १०. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन नमी का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की इस्तान्तरित करने पर वन नमी स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन नमी की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि उस विभाग की विभागी प्रतिकर का नुनतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगा।
 ११. याचक विभाग के इस्तान्तरण वन इलाईनेट तथा होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा द्वारा दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित याचक वालुओं से दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि इस्तान्तरण सम्पदा वन समीक्षा को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई याचक विभाग की आवश्यक है।
 १२. वन नमी का सुन्दर सम्बन्धित विभागिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होना जो याचक विभाग की मान्य होना।
 १३. वन नमी का याचक वाले वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया, जो वन विभाग सम्बोधि द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो तो याचक विभाग याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है। इसी प्रकार बाज के यहाँ पर यालन भी दर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
 १४. इस्तान्तरण नमी का याचक वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का नुनतान आवश्यक समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा ३ दर्ज लक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तथा किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है। इसी प्रकार बाज के यहाँ पर यालन भी दर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
 १५. वन नमी के लाघ से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा याचक इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संतुष्ट स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
 १६. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
 १७. उपर्योगिता नानक शार्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई उच्च शार्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
 १८. वन नमी का याचक विभाग हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शार्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका सनुचित स्तर से आवश्यक प्राप्त हो जाय।
- इनामित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

सहायक अधिकारी
निर्माण खंड, लो.नि.वि. कपकोट

अधिकारी अधिकारी
निर्माण खंड, लो.नि.वि. कपकोट

कृपयाकृपा